"राष्ट्रीय मतदाता दिवस"
दिनांक 25.01.2011

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 – 0612-2217956
फैक्स नं0 – 0612-2215611
ई – मेल-**ceo_bihar@eci.gov.in**

फैक्स/ई-मेल

पत्रांक :– बी1–3–213/2010– **11800** पटना, दिनांक **10** दिसम्बर, 2010 ई0।

प्रेषक

कुमार अंशुमाली,
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय : **दिनांक 25.01.2011 को पहली बार तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day) मनाये जाने के संबंध में।**

प्रसंग : **(1) श्री तापस कुमार, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 26.08.2010,**
(2) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अर्द्ध सरकारी पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 11.11.2010,
(3) श्री मलय मल्लिक, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 491/IEC/2010 दिनांक 18.08.2010 एवं
(4) श्री दारसुओ थांग, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 30.11.2010.
(5) श्री दारसुओ थांग, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 07.12.2010.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रतियां संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। इनके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय संसूचित किया गया है कि अब से प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के रूप में मनाया जाना है। दिनांक 25.01.2011 को प्रथम बार "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" मनाया जायेगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के पंजीकरण में वृद्धि करना तथा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

25 जनवरी को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के अवसर पर विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले समारोहों में सभी उपस्थित नागरिकों द्वारा निम्नांकित प्रतिज्ञा ली जानी है :–

सारांश

- **दिनांक 25.01.2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करना।**
- **जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं मतदान केन्द्र स्तर पर समारोह का आयोजन।**
- **समारोह/निर्वाचक सूची पुनरीक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार।**
- **समारोह में उपस्थित सभी नागरिकों को शपथ दिलाना।**
- **सभी नव पंजीकृत निर्वाचकों के लिये बैज तैयार कर वितरित करना।**
- **सभी नव पंजीकृत निर्वाचकों को त्रुटिरहित ईपिक वितरित करना।**
- **समारोह का प्रतिवेदन (छायाचित्र सहित) भेजना।**

निर्वाचकों की प्रतिज्ञा

"हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों की गरिमा को बनाये रखने के लिये प्रत्येक निर्वाचन में बिना किसी भय के तथा धर्म, समुदाय, जाति, वर्ग, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुये बिना मतदान करेंगे।"

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"

- मतदान केन्द्र क्षेत्र में आयोजित किये गये समारोह का प्रतिवेदन (फोटोग्राफ के साथ) तैयार कर भेजना।

उपर्युक्त सभी कार्रवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर भी की जानी है। एक स्थल पर कई मतदान केन्द्रों के होने की स्थिति में मतदान केन्द्र स्थल पर संयुक्त समारोह आयोजित किये जाने हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 22.12.2010 को बिहार राज्य के लिये दिनांक 01.01.2011 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई फोटो निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाना है तथा दिनांक 21.01.2011 को इस फोटो निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। दावों एवं आपत्तियों के निस्तार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तथा निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् आयोग के पत्रांक 491/IEC/2010 (NRV) दिनांक 30.11.2010 के साथ संलग्न प्रपत्र 'ए' एवं 'बी' में प्रतिवेदन भेजा जाना है।

अतः निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण तथा "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के आयोजन के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य माध्यमों से कार्यान्वित किये जाने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाये तथा युवा वर्ग एवं महिलाओं के बीच विशेष रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये, ताकि जिले के निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात (Elector-Population Ratio) एवं लिंग अनुपात (Gender Ratio) में अपेक्षित वृद्धि लाई जा सके।

साथ ही दिनांक 25.01.2011 को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं मतदान केन्द्र स्तर पर समारोह का आयोजन करते हुए इसमें नये निर्वाचकों को त्रुटि रहित ईपिक वितरित किये जायें एवं उपस्थित सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलायी जाये। उक्त समारोह के संबंध में प्रतिवेदन (गुणवत्ता वाले छायाचित्रों के साथ) संकलित करते हुए इस कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

इसे कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : 11800 पटना, दिनांक दिसम्बर, 2010 ई0।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

ह0/-

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।